

हस्ताक्षर

(प्राधिकृत अधिकारी)

कोरोना के कहर से बचें, घर में सुरक्षित रहे ।

अधिकांश 04 म हाइड्रा, कावटिन मुक्ति रमानाथ गोप के नाम पर है। वंशावली के अनुसार
 खपरिया रेल के पोला नई गोप तथा कार्लिक गोप ने दिल्ली सं-1445 दिनांक -8/9/22
 के द्वारा विक्री किये है। जिसमें खपरिया रेल के अन्य दो पोला शीतल गोप और
 दिनेश गोप की पत्नी लक्ष्मी गोप के द्वारा उक्त मुक्ति पर आपत्ति की गई है। कंचन -
 अधिकारी - चाकुलिया के न्यायालय में दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए नॉटिस निर्गम
 कर बुलाया गया, किन्तु प्रथम पक्ष के समझाना करने से इनकार किया गया है।
 ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष से बिना अन्यायित लिए नामांतरण से संबंधित अनार
 कार्वाय करा अधिन प्रतिनर्त होना है।

कान: वाई सं-426/22-23 का अंतीकरण किया जा सकता है।

अस्वीकृत

अस्वीकृत